



सराहनीय कार्य दिनांक 23-06-22 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना एका पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18-06-22 को दिनेश की हत्या करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को उनकी निशांदाही पर आलाकत्ल सहित किया गिरफ्तार ।

- अवैध सम्बन्धों का विरोध करने पर दिनेश की की गयी थी हत्या ।
- सुनियोजित तरीके से प्लानिंग एवं शराब पिलाकर की गयी थी दिनेश की हत्या ।
- पुलिस की निष्पक्ष कार्यवाही एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में नामजद 03 व्यक्तियों की नामजदगी पायी गयी गलत ।
- पुलिस की निष्पक्ष कार्यवाही से जेल जाने से बचे मुकदमे में नामजद बेकसूर 03 लोग ।

थाना एका क्षेत्र के ग्राम नगला पीपल व नगला केवल के मध्य जंगलों में दिनांक 18.06.2022 को एक व्यक्ति की हत्या कर शव को फेंक देने की सूचना प्राप्त हुई थी । थाना एका पुलिस टीम द्वारा उक्त शव की शिनाख्त दिनेश कुमार निवासी भूड गड्डा थाना अवागढ जनपद एटा के रूप में की गयी जिसमें तहरीर के आधार पर थाना एका पर मु0अ0स0 173/22 धारा 364/302/504/506 भादवि0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट व 3(1)दध एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. देवेन्द्र कुमार पुत्र जगतपाल सिंह 2. दुर्गेश पुत्र देवेन्द्र सिंह 3.धीरज पुत्र वीरपाल निवासीगण भूडगड्डा थाना एका जिला फिरोजाबाद के पुरानी मुकदमेबाजी व रंजिश को लेकर पति का अपहरण कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया । उक्त मामले की खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में 04 टीमों का गठन किया गया ।

मामले में ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 23-06-2022 को दो अभियुक्तगण मनोज कुमार पुत्र कायम सिंह निवासी भड गड्डा थाना अवागढ जनपद एटा व इसके साथी अमित शर्मा पुत्र नरेशचन्द्र शर्मा निवासी सुराया थाना एका जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त मनोज द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मृतक दिनेश कुमार की पत्नी के साथ मेरे अवैध सम्बन्ध थे जिसका मृतक दिनेश को पता चल गया था । उसके द्वारा इसका विरोध किया गया एवं मेरे साथ गाली गलौज की गयी । मेरे द्वारा दिनेश कुमार को रास्ते से हटाने के लिए उसको मारने की प्लानिंग बनायी गयी जिसमें मेरे साथ मेरा दोस्त अमित शर्मा रहा । दिनांक 18-06-2022 को दिनेश कुमार जनपद एटा माननीय न्यायालय में तारीख

पर गया था। वहाँ पर हम दोनों भी प्लॉनिंग के तहत अपनी चार पहिया गाड़ी से गए थे। मेरे व मेरे दोस्त अमित शर्मा द्वारा दिनेश को अपने साथ ले जाकर शराब व गाँजा पिलाया गया। जब दिनेश को अधिक नशा हो गया तो हम दोनों द्वारा दिनेश की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगण की निशांदाही पर आलाकत्ल तमंचा बरामद किया गया है एवं अभियुक्तगण को जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मनोज कुमार पुत्र कायम सिंह निवासी भूङ गड्डा थाना अवागढ जनपद एटा।
2. अमित शर्मा पुत्र नरेशचन्द्र शर्मा निवासी सुराया थाना एका जिला फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. (आलाकत्ल) एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज।
2. मृतक के मोबाइल का टुकड़ा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनोज कुमार –

1. मु0अ मु0अ0स0 173/22 धारा 364/302/504/506 भादवि0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट व 3(1)दध एससी/एसटी एक्ट थाना एका फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 174/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एका जिला फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0 223/20 धारा 307/506 भादवि0 थाना अवागढ जनपद एटा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित शर्मा –

1. मु0अ मु0अ0स0 173/22 धारा 364/302/504/506 भादवि0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट व 3(1)दध एससी/एसटी एक्ट थाना एका फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 174/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एका जिला फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली थाना एका पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शर्मा
2. व0उ0नि0 श्री राजीव कुमार चित्राँश
3. उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र
4. है0का0 200 अशोक कुमार
5. का0 916 रविन्द्र सिंह
6. का0 840 प्रेम सिंह
7. का0 805 प्रशान्त कुमार शर्मा
8. का0 430 रहमान अली
9. का0 703 सुनील कुमार समस्त थाना एका जिला फिरोजाबाद व का0 रघुराज प्रताप व का0 अनिल गुप्ता सर्विलांस टीम जनपद फिरोजाबाद।